




आधार जायसवाल, इंदौर
15/02/2016




बुरा मत सोचो

प्रधान संपादक : आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल द्वारा बन्दरों की परिकल्पना 16 मई 2010 (जनहित में जारी)



बुरा मत मानो



बुरा मत करो



कार्ड शिवहरे, जबलपुर
02/02/2015

वर्ष - 4 अंक-2

इंदौर, 15 अप्रैल 2023

पृष्ठ - 8

मूल्य 1 रुपये

सुविचार: हर प्रयास गलतियों की शुल्कात से प्रारंभ होता है:- आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल

Aadhaarcardskejanaksuniljaiswal@gmail.com

'भर परिवार और अपनो को मुझे बचाना है मुझे आज ही वैक्सीन लगाना है'

आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल की ओर से
वरिष्ठ पत्रकार वैद प्रकाशजी वैदिकजी को विनम्र श्रद्धांजलि





आधार जायसवाल, वलास-1, शिशुकुंज स्कूल, धरमपुरी, सांवर रोड, इन्दौर

दैनिक भास्कर, इंदौर, त्रिविक्र. 26 मार्च 2023

04

धर्म का विज्ञान

रामेश्वरी विमलानंदा, विषय प्रश्न ट्रॉफी

पैर छूने पर आशीर्वाद में सिर पर हाथ होता है, ये एनर्जी सर्किट है

जब हम द्विकृत बड़े-बुजु़ुंगों के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेसर, हृदय की गति और सास की गति कम होती है और पचन तंत्र सुधार होता है। कुल मिलाकर हमारा शरीर विश्राम की भूमि में आ जाता है। प्रणाम करने पर मन में स्वतं ही सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। आशीर्वाद स्वरूप हमारे सिर पर उनका हाथ होता है। दोनों ओर से सकारात्मक भावों से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और पैरासिम्पारीटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। हमारे शरीर में मौजूद तंत्रिकाएं दियाग से शुरू होती हैं और शरीर में एक जल चुन्ने हुए हाथ और पैरों की अंगिलियों के सिरे पर खस्त होती हैं। हर पैर में लगभग 7000 तंत्रिकाओं के सिरे खुलते हैं।

चरण स्पर्श और आशीर्वाद की प्रक्रिया एक तरह का सर्किट बनाती है, जो इसलिए क्योंकि शरीर के दायें हिस्से में पारिवाय और बायें हिस्से में निर्वाय करते हैं। जब हम बड़े के समक्ष होते हैं तो ऊर्जा के आदान-प्रदान के दो तंत्र बन जाते हैं। पैर ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करते हैं तो हमारी अगुलियां और हथेलियां इस ऊर्जा के सेप्टर की तरह काम करते हैं।

जब हम वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए, बड़ों का अभिभावन करते हैं तो प्रत्युत्थान यानी समक्ष खड़े होना, नमकार, उत्सङ्घण यानी चरण स्पर्श, साटांग और प्रत्यावृत्तन- किसी भी भूमि से कठोरों का सर्किट पूरा हो जाता है। आगे दूकने से रक्त संचार भी बढ़ता है। हम उन लोगों के आगे दूकते हैं जो उम्र, रिश्ते, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शक्ति, सम्पत्ति, अनुब्रय या कौर्तवी में हासें बड़े होते हैं। अथवादेव के अनुग्रह चरण स्पर्श कर के हम सम्मेलने के ज्ञान को ग्रहण कर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की अनुमति लेते हैं। महाभारत में जब यश ने युग्मित्र से पूछा था कि कोई व्यक्ति मरन और शक्तिशाली कैसे हो सकता है तो उन्होंने जवाब में कहा था अभिभावकों, गुरुओं और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर।

धर्म का विज्ञान यह है कि - पैर छूने से शरीर का पैरासिम्पारीटिक तंत्र सक्रिय होता है, जो सुकून और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।

**स्वप्रदृष्टा 'अभ्य'**

जब गथाएँ लिखी जाती हैं तो योद्धाओं, विजेताओं और वेत्तुवकर्ताओं का उल्लेख आता है। पर इंदौर की यशोग्राथ में एक स्वप्रदृष्टा का भी उल्लेख रहेगा। ये शहर अपनी रहेंगा अभ्य छजलानी का। जिन्होंने वर्वारुद्धित सैकड़ों बीजों के सपनों को अब अपने मार्गदर्शन में बढ़ावे का अवसर दिया। ऐसा ही नाम है विजिलेंस पब्लिसिटी का। 80 के दशक में विजिलेंस जैसे बीज को प्रस्फुटित होने से लेकर विशाल वटवृक्ष बनने तक आपका आशीर्ष मिलता रहा।

विनम्र श्रद्धांजलि पद्मश्री अभ्य छजलानी जी

सदैव क्राणी

प्रमोद फरक्या एवं विजिलेंस पब्लिसिटी परिवार



**श्री केन्द्रीय सांई सेवा समिति द्वारा
सांई प्रभात फेरी**

दिनांक 15 मार्च 2023 बुधवार प्रातः 5 बजे से
स्थान : पार्वती कारोबार से साठपूर्व मुख्यालय नगर, इन्दौर
आप सादर आमंत्रित हैं

श्री साई भगवान् आ है आपको धूर
कृपा 5 दीपक अरपण लायें।

निवेदक : संया राधाकिशन जायसवाल पार्पद वार्ड 19
आयोजक : विधायक पं. श्री रमेश जी मेन्दोला दादा दयाल मिश्र मण्डल

जब आधार कार्ड है साथ, तो डरने की है क्या बात।



भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवाल द्वारा समर्पित जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्चूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज द्वारा समर्पित प्रियजनों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं...




भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवां व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्यूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज द्वारा समस्त प्रियजनों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाईयां एवं शभकामनाएं...

“ करता सब के कल्याण का है काम, यही आधार कार्ड का है काम”



भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 विलियन + जिनियस सुनील जायसवाल

मौसमी स्टेन लैस स्टील, मासूम जायसवाल. ए.के. शर्मा जी बर्तन बाजार, इंदौर व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्यूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज द्वारा समस्त प्रिय दिवंगत मित्रों व खजनों को दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि....



श्रद्धांजलि सभा

भारत राष्ट्र के सपूत, वरिष्ठ पत्रकार, प्रसिद्ध आर्यसमाजी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विरेषज्ञ “अंकित ग्राम” सेवाधाम आश्रम के अध्यक्ष

**पटम श्रद्धेय
स्व. डॉ. वेदप्रताप वैदिक जी**

की आत्मशांति हेतु
शनिवार, 25 मार्च 2023 को

प्रातः: 9.30 बजे - वैदिक शांति यज्ञ
10.30 बजे - श्रद्धांजलि सभा
11.30 बजे - अस्थि विसर्जन एवम् त्रिवेणी रोपण
12.00 बजे - दिव्य प्रसादी

स्थल: सेवाधाम आश्रम, “अंकित ग्राम”, अम्बोदिया, (गंभीर बांध), उज्जैन 9425092505, 7354992048



“ करता सब के कल्याण का है काम, यही आधार कार्ड का है काम ”



भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवाल
मौसमी स्टेन लैस स्टील, मासूम जायसवाल. ए.के. शर्मा जी बर्तन बाजार, इंदौर व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्घरी,
कलाल, कलवार, कलार समाज द्वारा समस्त प्रिय दिवंगत मित्रों व स्वजनों को दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि....



“ करता सब के कल्याण का है काम, यही आधार कार्ड का है काम”

पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इस तारीख के बाद लगेगा 10,000 का जुर्माना, इन लोगों के लिए राहत

नईदिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पैन को आधार से लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून 2023 कर दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 थी। बता दें कि वर्तमान में आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर आधार-पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। अब 30 जून की नई डेडलाइन तक लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके बाद लिंक करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि आखिर किसके लिए आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग जरूरी है।

आयकर अधिनियम की धारा 139ए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं है। जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक

नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग जरूरी नहीं है। आयकर विभाग के मुताबिक जो लोग



उपरोक्त श्रेणियों में से एक के दायरे में आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें जुर्माने की रकम देनी होगी।

क्या होगा असर

आप डेडलाइन तक आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं करते हैं तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी। वहीं, टैक्स रिफंड भी अटक जाएगा। इसी तरह, दूसरे फाइनेंस के काम पर भी इसका असर पड़ेगा। पैन के निष्क्रिय होने पर पर बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घूर्घुल फंड और स्टॉक में निवेश पर भी दिक्कत आ सकती है।

पैन को आधार से लिंक करने नियम में बदलाव, लेट फीस भरने से पहले करना होगा ये काम

पैन और आधार दोनों ही आज के समय में हमारी पहचान के जरूरी दस्तावेज हैं। इनके बिना हम वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम नहीं पूरा कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। एक जुलाई से ऐसे पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे। आधार से पैन को लिंक करने के लिए जुर्माने के रूप में 1000 रुपये देने होंगे। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है।

क्या बदलाव हुआ है?

पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे। जब आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर का ऑशन मिलता है। इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेंसेट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था।

अपडेट करना है बच्चों का आधार कार्ड

नईदिल्ली। अगर आपने भी अपने बच्चों का Aadhaar Card यानी बाल आधार कार्ड बनवा रखा है, तो उसे तुरंत अपडेट करा लीजिए। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में बच्चों के आधार कार्ड को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है जिसे बाल आधार कहा जाता है। अथॉरिटी की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक पांच और 15 साल की उम्र वाले बच्चों के आधार डेटा में बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करने के बाद बच्चे के आधार नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, अथॉरिटी ने



कर जानकारी दी थी कि 5-15 साल के बच्चों की बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करना अनिवार्य है और ऐसा करने की प्रक्रिया एकदम फ्री है। इसके अलावा, अथॉरिटी ने एक अन्य द्वितीय में घोषणा की कि बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के बाद बच्चे के आधार नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, अथॉरिटी ने

माता-पिता को फॉर्म भरने और बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने के लिए न जदृदीकी आधार केन्द्र पर जाने की सूचना दी है।

जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि UIDAI एक सरकारी अथॉरिटी है, जो 12 अंकों के आधार को कंट्रोल करती है और पांच साल से कम उम्र के बच्चों को बाल आधार कार्ड जारी करती है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इस कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह जन्म से बच्चों के लिए डिजिटल फाईटो पहचान प्रमाण के रूप में अनिवार्य है।

क्या जनगणना में इस्तेमाल होगा आधार? मृतकों के आधार कार्ड का क्या? संसद में सरकार ने दिए बड़े सवालों के जवाब

नईदिल्ली। आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लाभ लेने या फिर कई सुविधाओं के लिए काफी अहम है। हालांकि, आधार कार्ड को जनगणना में इस्तेमाल करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यही नहीं, मृतकों के आधार को वापस लेने, बंद करने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। ये सभी जानकारी आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिए अपने लिखित जवाब में दी हैं। कांग्रेस सांसद एडवोकेट अद्वृ प्रकाश ने आईटी मंत्री से पूछा था कि क्या आधार कार्ड को जनगणना में इस्तेमाल करने की सरकार की कोई मंशा है? आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिलिखित जवाब में कहा, रिंजस्ट्रायर जनरल के ऑफिस और भारत के जनगणना आयुक ने बताया है कि आधार के डाटा को जनगणना में इस्तेमाल करने की सरकार की कोई मंशा है? आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिलिखित जवाब में कहा, रिंजस्ट्रायर जनरल के ऑफिस और भारत के जनगणना आयुक ने बताया है कि आधार के डाटा को जनगणना में इस्तेमाल करने की सरकार की कोई मंशा है? आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिलिखित जवाब में कहा, जीवित आधार कार्ड को बताया जाना चाहिए है। मृत्यु की अनुमति संख्या को एडजस्ट करने के बाद, जीवित आधार संख्या धारकों की अनुमति संख्या 130.2 करोड़ है। ये 2022 के लिए अनुमति संख्या का 94 फीसदी है। मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अपने स्थानीय क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं।